

प्रेस-विज्ञप्तिथाना पवईदुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त चन्द्रकेश पुत्र लालचन्द्र केवट निवासी सैरैया खुर्द (छोटी सैरैया) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने दुष्कर्म किया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/23 धारा 376(3) भादवि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 24.09.2023 को निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त चन्द्रकेश पुत्र लालचन्द्र केवट निवासी सैरैया खुर्द (छोटी सैरैया) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को सरायपुल तिराहा के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 294/23 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:- चन्द्रकेश पुत्र लालचन्द्र केवट निवासी सैरैया खुर्द (छोटी सैरैया) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक अपराध अनुराग कुमार थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. का0 असफाक अंसारी थाना पवई जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोटथाना- बरदहछेड़खानी व मारपीट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 23.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त सौरभ मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा ग्राम गोड़हरा ने वादिनी के साथ छेड़खानी किया गया तथा पूछने के लिये वादिनी व उसके परिजन अभियुक्त के घर गये तो अभियुक्त के परिजनो द्वारा मारा पीटा जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/23 धारा 354/354(क)/323/504/306/511 भादवि0 बनाम 1- सौरभ मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा 2- सुनिता पत्नी प्रकाश मिश्रा 3. नीतू पुत्री प्रकाश मिश्रा 4. रितेश पुत्र प्रकाश मिश्रा समस्त निवासी ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 24-09-2023 को उ0नि0 महबूब अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तो 1. सौरभ मिश्रा पुत्र इन्द्र प्रकाश मिश्रा व अभियुक्त 2. सुनिता मिश्रा पत्नी इन्द्रप्रकाश मिश्रा 3. नीतू मिश्रा पुत्री इन्द्रप्रकाश मिश्रा समस्त निवासी ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 391/23 धारा 354/ 354(क)/323/504/306/511 भादवि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. सौरभ मिश्रा पुत्र इन्द्र प्रकाश मिश्रा ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. सुनिता मिश्रा पत्नी इन्द्रप्रकाश मिश्रा ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. नीतू मिश्रा पुत्री इन्द्रप्रकाश मिश्रा ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 महबूब अली थाना बरदह, आजमगढ़।
2. हे0का0 सन्तोष कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
3. म0आ0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़
4. म0आ0 प्रीती पटवा थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

कूट रचित तरिके से बैनाम करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.07.2023 को वादी मुकदमा साजिद खातून (वर्तमान प्रधान) सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि शाहिद आजमी(पूर्व प्रधान) ने गांव की जमीन के फर्जी पट्टे का कूटरचित दखलनामा बनाकर गाँव के ही 1. थानेदार पुत्र लेढा पासवान व 2. जैराम पुत्र लेढा पासवान निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को राजकिय सम्पत्ति का अवैध कब्जा दे दिया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/2023 धारा 419/420/467/458/471 भादवि0 बनाम (1) शाहिद आजमी पुत्र मतीउद्दीन (2) थानेदार पुत्र लेढा पासवान (3) जयराम पुत्र लेढा पासवान समस्त निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तो 1.थानेदार पुत्र लेढा पासवान व 2. शाहिद आजमी पुत्र मतीउद्दीन समस्त निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को पूर्व में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 24.09.2023 को उ0नि0 महेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयराम सरोज पुत्र लेढा पासवान सरोज नि0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को सोनवारा बाजार से समय करीब 12.55 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 237/2023 धारा 419/420/467/458/471 भादवि0 थाना रानी की सराय।

गिरफ्तार अभियुक्त – जयराम सरोज पुत्र लेढा पासवान सरोज नि0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 महेश सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

(2) का0 हृदेश गुप्ता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- तरवा

चोरी करने वाले 02 अभियुक्त अवैध असलहा-कारतूस के साथ गिरफ्तार; चोरी की इन्वर्टर व बैटरी बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 23.09.2023 को वादिनी मुकदमा रेनू कुमारी पुत्री हर्षनाथ निवासी ग्राम हड़ौरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ (पंचायत सहायक) द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि पंचायत भवन से अज्ञात व्यक्तियों ने इन्वर्टर और बैटरी चोरी कर लिया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-260/2023 धारा-280 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह द्वारा की जा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक-24.09.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तो 1. संदीप यादव S/O तुलसी यादव R/O हड़ौरा PS तरवां आजमगढ़, 2. देवानंद कुमार S/O विहारी राम R/O हड़ौरा PS तरवां आजमगढ़ को हड़ौरा तिराहे से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त संदीप यादव S/O तुलसी यादव R/O हड़ौरा PS तरवां आजमगढ़ के पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-261/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तो की निशादेही पर चोरी की 01 इन्वर्टर व बैटरी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1- संदीप यादव S/O तुलसी यादव R/O हड़ौरा PS तरवां आजमगढ़।

2- देवानंद कुमार S/O विहारी राम R/O हड़ौरा PS तरवां आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- 260/23 धारा-380/411 IPC व मु0अ0सं0-261/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

संदीप यादव

1- मु0अ0सं0 260/23 धारा 380/411 IPC थाना तरवा जनपद आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0-261/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़।

देवानंद कुमार

1- मु0अ0सं0 260/23 धारा 380/411 IPC थाना तरवा जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 इन्वर्टर, 01 बैटरी, 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवा जनपद आजमगढ़